

एक नजर में

बाल विवाह की रोकथाम के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

खण्डवा। खण्डवा जिले में बाल विवाह संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी रत्ना शर्मा ने बताया कि बाल विवाह संबंधी कोई भी सूचना कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0733-2223794 पर दी जा सकती है। इसके अलावा बाल विवाह संबंधी सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी के मोबाईल नम्बर 95 165598996 पर या परियोजना अधिकारी पुष्पा राठौर के मोबाईल क्रमांक 9131625315 या टिकसिंह बिल्लेरे, बाल संरक्षण अधिकारी के मोबाईल नम्बर 8435102121 पर भी दी जा सकती है। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बाल विवाहों की रोकथाम के लिए त्वरित कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक विकासखण्ड में एस डी एम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि देवउठनी एकादशी एवं अन्य तारीखों में होने वाले विवाहों, निकाहों, एवं सामूहिक विवाह सम्मेलनों में बाल विवाह ना हो इसके लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।

खण्डवा ब्लॉक की पंचायतों में लगेंगे रक्तदान शिविर

खण्डवा। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के निर्देश पर नवंबर माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा खण्डवा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ. पी. जुगतावत ने बताया कि जनसमुदाय को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले रक्तदान शिविरों के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर लिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह रक्तदान शिविर 1 नवंबर को ग्राम अमलपुरा, 3 को गोकुलगांव, 6 को जावर, 7 को नहालवा, 8 को रुधी, 10 को जामलीमूदी, 11 को जसवाडी, 12 को लोहारी, 13 को कोरगला, 14 को सहेजला, 15 को बड़गांव माली, 17 को टिगरिया, 19 को बिजौरी भील, 21 को कालमुडी, 24 को नागवने, 25 को रामपुरा, 26 को पांजरिया, 27 को रोशनई, 28 को सुरगांव बंजारी तथा 29 नवंबर को शिवना ग्राम की ग्राम पंचायतों में रक्तदान शिविर लगाये जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओ पी जुगतावत ने बताया कि कोई भी 18 से 60 वर्ष आयु का स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो या अधिक हो, रक्तदान कर सकता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति सामान्यतः प्रत्येक 3 माह के अंतराल में अर्थात् एक वर्ष में 4 बार रक्तदान कर सकता है। रक्तदान बुला, मोटा, छोटा लम्बा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। रक्तदान करने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि रक्तदान अवश्य करें।

नर्मदा पंच कोशी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु पहुंचने लगे आंकारेश्वर



आंकारेश्वर। नगर परिषद आंकारेश्वर द्वारा आयोजित होने वाले परंपरागत कार्तिक मेले में धीरे-धीरे रोक आ रही है। दुकानें लगाना प्रारंभ हो गई है झूले लग गए हैं। नर्मदा पंचकोशी यात्रा के लिए श्रद्धालु एक दिन पूर्व से ही यहां आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अतिक्रमण के कारण नर्मदा क्षेत्र में कोलीनी कटने से मेला स्थान सीमित हो गया है। लेकिन इसके बावजूद परंपरागत रूप से आने वाले दुकानदार आना प्रारंभ हो गए हैं। नगर परिषद द्वारा मेला क्षेत्र में दुकानों का आवंटन जारी है। मेले में झूले लगाना प्रारंभ हो गए हैं दुकान भी धीरे-धीरे लगी रही हैं। देवउठनी ग्यारस 1 नवंबर से मेला प्रारंभ हो जाएगा जो 6 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। कार्तिक मास के दौरान स्नान और दान का विशेष महत्व है, और इस मेले में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं।

शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास

खंडवा। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रविन्द्र कुमार शिल्ली



खण्डवा की न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी 1. लाखासिंग पिता नानसिंह, उम्र 50 वर्ष, 2. मोवासिंग पिता जामसिंग, उम्र 60 साल 3. रामसिंग पिता वेस्ता उम्र 40 वर्ष, 4. गणपत पिता रूखंडिया, उम्र-30 वर्ष 5. सुखलाल पिता फुलसिंग, उम्र 50 वर्ष सभी निवासी ग्राम आमा खुजरी थाना पिपलौद तहसील खण्डवा जिला खण्डवा एवं आरोपी 6. सुरसिंग पिता कालू उम्र-45 वर्ष, निवासी बामादा पिपलौद खण्डवा सभी आरोपीगण को धारा 332/149 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये से दण्डित किया गया एवं धारा 147 भादवि के अपराध में प्रत्येक अभियुक्त को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी जया परमार द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके ए.डी.पी.ओ. द्वारा बताया गया कि, वन परिक्षेत्र अधिकारी किशोर दशोरे का ग्राम गुडी रेंज में भिलाईखेड़ा आमखुजरी में भी वनक्षेत्र है। ग्राम आमखुजरी के कक्ष क्रमांक 748 की वनभूमि में पशु चराई हेतु तथा 748-ए लघु वनोपवन संग्रहण हेतु 748-ए-749 वन मार्ग के लिए जिला स्तरिया वन अधिकारी समिति के द्वारा ग्राम वन समिति भिलाईखेड़ा को अनुसूचित जनजातियां वन निवासी नियत 2008 का 8 (ज) के अनुसार दिनांक 31 जुलाई 2018 को दिया गया था। उक्त भूमि में ग्राम आमखुजरी के अतिक्रमणकारियों के द्वारा जबरन कब्जा कर बीज फेंके जाकर अतिक्रमण के प्रसास किए गए हैं, जिसकी सूचना फरियादी ने लिखित उसके वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी, जिसके अनुसार दिनांक 26.06.2020 को उपनमंडल अधिकारी के मौखिक निर्देशन दिनांक 25.06.2020 के पालन में फरियादी उसके गुडी रेंज स्टाफ शकील खान उपवन क्षेत्रपाल, अब्दुल फरीद कुरैशी वनपाल, सुरेश काजले वनपाल, श्रीकांत पट्टनरसक, प्रकाश मालवीय वनरक्षक, जगदीश सोलंकी, वनरक्षक, जागृती चौरसिया वनरक्षक, मदनलाल धनगर वनरक्षक, रोशन शुक्ला वनरक्षक, अंतरसिंह पाल वनरक्षक, सुशीला लोकर वनरक्षक तथा वन परिक्षेत्र से प्राप्त महिला वनरक्षक एवं खालवा / पश्चिम कालीभीत खण्डवा से आए वनरक्षकों एवं अधिकारियों के साथ अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण के प्रसास को हटाने के लिए वे सभी सुबह करीबन 06.30 बजे कक्ष क्रमांक 748 आमखुजरी भिलाईखेड़ा पहुंचे तथा उक्त भूमि में बोनी की गई थी, उसे हटाने लगे करीबन 20-25 महिला-पुरुष एक राय होकर आए, जिसमें आमखुजरी/बामादा के लाखासिंह, मोवासिंह, रामसिंह, सुरसिंह, करतप, गणपत, सुखलाल भी थे। सभी गोफन से पत्थर मारने लगे व शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर पत्थर मारने लगे, जिससे झट्टी में लगे कर्मचारियों को चोट लगी व खून बहने लगा था। इसके बाद उन्होंने घायलों को लेकर आए तथा लिखित आवेदन पत्र थाना पिपलौद में दिया था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 353, 332, 294, 506, 147 एवं 149 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। आवश्यक विवेचना उपरत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

भावांतर योजना के लिए हेल्पलाइन कॉल सेंटर प्रारंभ

खण्डवा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई भावांतर हेल्पलाइन 2025 के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी में मदद के लिये भावांतर हेल्पलाइन सुविधा प्रारंभ की गई है। हेल्पलाइन का दूरभाष नंबर 0755-2704555 है। योजना के प्रभावित एवं सूचारु क्रियान्वयन के लिए किसान, व्यापारी संगठनों, मंडी बोर्ड व मंडी समितियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए भावांतर हेल्पलाइन कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया है। यह हेल्पलाइन 30 अक्टूबर 2025 से निरंतर योजना अवधि तक कार्यरत रहेगी। हेल्पलाइन प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक निरंतर कार्य करेगी। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या के समाधान के लिए कोई भी किसान, व्यापारी अथवा संबंधित व्यक्ति हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है।

राज्य सरकार जीवों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने माँ नर्मदा नदी के पावन जल में 6 मगरमच्छों का कराया जलप्रवेश

नवभारत न्यूज खंडवा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार जीवों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है। माँ नर्मदा का वाहन माने जाने वाले मगरमच्छों के उन्हे नैसर्गिक आवास

में पुनर्स्थापित करना, हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी है। मगरमच्छों के आवास के लिए यह अत्यंत अनुकूल है। उनकी उपस्थिति से नदी का पारिस्थितिक तंत्र एवं जल प्रवाह और



अधिक सुदृढ़ होगा। यह महत्वपूर्ण पहल प्रदेश में चल रहे व्यापक वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। गुरुवार को खंडवा जिले के नर्मदानगर (पुनासा) में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधिवत रूप से पूजन कर वन विहार भोपाल से लाये गये 6 मगरमच्छों को माँ नर्मदा नदी के सलिल जल में स्वच्छंद छोड़ा।

मगरमच्छ जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर वृद्धि होगी। प्रदेश में सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण अभियान के तहत भारतीय संस्कृति में मनुष्य एवं वन्यजीव परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। मगरमच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र का अहम कड़ी है। इंदौर सागर परियोजना के बैंक वाटर क्षेत्र में माँ नर्मदा के वाहन के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से पूर्ण अनुकूल माहौल उपलब्ध है।

जल और वन्य जीवों को प्राथमिकता

मध्यप्रदेश में वन्यजीवों के साथ ही

आंकारेश्वर अभयारण्य पर किया फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के समक्ष वन विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित आंकारेश्वर अभयारण्य के संबंध में विस्तृत कार्ययोजना एवं जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि सामान्य वनमण्डल खण्डवा के कुल वनक्षेत्र- 283773.23 हेक्टेयर अंतर्गत प्रस्तावित आंकारेश्वर अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 61407.09 हेक्टेयर है। जिसमें खंडवा वनमंडल अंतर्गत पुनासा, मूंदी, चांदगढ़, बलडी परिक्षेत्र शामिल हैं, वहीं देवास वनमंडल के सतवास, कांटाफोड, पुंजापुरा, उदयनगर आदि परिक्षेत्र शामिल हैं।



अफसर और नेता भी थे उपस्थित

इस अवसर पर जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा की विधायक कंचन मुकेश तन्वे, मांधाता विधायक नारायण पटेल, पंधाना विधायक छाया मोरे, खंडवा की महापौर अमृता अमर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पिकी सुदेश वानखेड़े और जिला भाजपा अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, संभागायुक्त सुदामा खांडे, आईजी अनुराग, डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक शुभ रंजन सेन, मध्यप्रदेश के वन बल प्रमुख वी.एन. अंबाड़े, वन संरक्षक खंडवा वासु कर्नौजिया, वन मंडल अधिकारी राकेश डामोर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आरटीओ के खिलाफ किया चक्काजाम



नवभारत न्यूज खंडवा। आरटीओ पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए गुरुवार सुबह से भाजपा संगठन और क्रेशर एसोशिएशन ने धरम कांटे पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। आरटीओ को भाजपाइयों ने खूब खरी खोटी भी सुनाई। आरटीओ ने भी इनका डटकर मुकाबला किया। बुरहानपुर इंदौर मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। भाजपा पदाधिकारी और आरटीओ में जमकर बहस भी हुई। आरटीओ ने सारे आरोपों को निराधार बताया। एसडीएम ऋषि सिंघाई की समझाइश के बाद दो घंटे में जाम खत्म कर दिया। गुरुवार सुबह खंडवा के उद्योगपति राकेश बंसल के खदान से दो डंपर निकले। जिनका आरटीओ दीपक मांझी ने पीछा करके दोनों वाहन को धर्मकांटे के पास रोककर काटा करने की बात कही। इस दौरान राकेश बंसल ने कहा कि मेरी गाड़ी ओवरलोड नहीं चल रही है। आपको 2000 रूपए महीना नहीं दे रहा हो तो आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। खंडवा जिले में ओवरलोड गाड़ी हजारों चल रही हैं। मैंने पैसे देने से मना किया तो मेरी गाड़ी को रोक रहे हैं। इस बात की सूचना मिलते ही भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, विधायक पति



मुकेश तनवे सहित क्रेशर संचालकों ने सड़क पर चक्काजाम कर आरटीओ के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक पति ने आरटीओ को जमकर खारी खोटी सुनाई। कहा कि आज मुख्यमंत्री खंडवा मगरमच्छ छोड़ने आ रहे हैं। उनसे भी शिकायत करेंगे। चक्काजाम के दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस बल भी मुस्तैद रहा एसडीएम की समझाइश के बाद चक्काजाम खुला। इस संबंध में आरटीओ दीपक मांझी से बात की तब उन्होंने कहा है कि कार्रवाई के दौरान ऐसे आरोप लगते हैं।

शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी



नवभारत न्यूज मूंदी। नगर परिषद मूंदी के तत्वाधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई। इस समारोह में नगर परिषद अध्यक्ष ज्योतिवाला राठौर, अध्यक्ष राज नारायण मंडलौरी एवं सांसद प्रतिनिधि चंद्र मोहन राठौर व पार्षद प्रतिनिधि शामिल हुए। सांसद प्रतिनिधि चंद्र मोहन राठौर ने हिरगाहियों से आवाहन किया कि शासन विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं का योजनाओं का लाभ ले और यहां जो शिविर लगा है जानकारी लेकर अपने परिवारित को तब संदेश दें, स्वास्थ्य प्रधानमंत्री योजनाओं एवं अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। इस शिविर में आए हिरगाहियों को पीएम आवास, पीएम सूर्य योजना, आयुष्मान प्रधानमंत्री, योजना उज्वला गैस योजना, स्वास्थ्य परीक्षण अन्य के लाभ लिया। सीएमओ संजय जैन ने कहा कि इस शिविर में जो हिरगाही नहीं आए वह नगर परिषद जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। इस अवसर पर बैंक आफ इंडिया से मैनेजर सुशील खेड़ा एवं यूनियन बैंक से राम एंबुशकर, एचडीएफसी बैंक से ऋषि राजपूत, ग्रामीण बैंक से आशुतोष राठौर, कार्यक्रम का संचालन देवेंद्र राठौर ने किया। आभार सीएमओ संजय जैन ने किया।

कैप में पहुंचकर लाभ लिया



नवभारत न्यूज आंकारेश्वर। नगर परिषद आंकारेश्वर के द्वारा बालवाड़ी क्षेत्र में प्रधानमंत्री अंगीकार मेले का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री 02 आवास योजना के अलावा कई योजना शामिल थी। नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग बैंक के अधिकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी, उज्वला गैस योजना, सहकारी समिति के अलावा कुछ अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की यहां झट्टी खंडवा कलेक्टर के निर्देश पर लगाई गई थी। नगर परिषद सीएमओ संजय गीते के निर्देश पर सभी विभाग के अधिकारी सुबह 10 बजे से कैप पर पहुंच गए थे लेकिन आंकारेश्वर में वर्तमान चल रहे ममलेखर महालोक टेंशन के चलते कम संख्या में वार्ड के निवासी पहुंच पाए। क्योंकि आंकारेश्वर में विकास को लेकर कब कहां बुलडोजर चलेगा। कैप में उज्वला योजना के अंतर्गत योजना से वंचित रहे उपभोक्ताओं में 30 से अधिक उपभोक्ता कैप में पहुंचकर केवाईसी का लाभ लिया। साथ ही 5 से अधिक नए फॉर्म शामिल किए गए। अनाज पर्वी में वंचित रहे लोगों के नाम भी यहां जोड़े गए। पीएम सम्मन निधि योजना के अंतर्गत लाभ 10 लोगों ने विभिन्न विभिन्न बैंकों में आवेदन दिए, जिसका पंजीयन यहां पर किया गया। कई पेशानवारी के साथ समग्र में वंचित रहे लगभग एक दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं ने इसका लाभ लिया।

किसानों के उपज के उचित दाम कब मिलेंगे : जिला कांग्रेस अध्यक्ष

नवभारत न्यूज खंडवा। मुख्यमंत्री मोहन यादव नर्मदान नदी के एक दिवसीय प्रवास पर आये थे। वहां पर वह नर्मदा से लाये गए मगरमच्छ नर्मदा नदी में छोड़े। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने की बयानबाजी जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ने से स्थानीय लोगों की सुरक्षा और हर अभाव पर लाखों श्रद्धालु नदी में स्नान करने आते हैं, उनके नदी के स्नान के अधिकार पर असर पड़ सकता है। नर्मदा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, और इसमें स्नान करना लोगों की

आस्था का हिस्सा है। मगरमच्छ छोड़ने से पहले लोगों की सुरक्षा और अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है। नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ने से लोगों की सुरक्षा और धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। मगरमच्छ की उपस्थिति से लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जिससे वे नदी में स्नान करने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए, नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ने से पहले लोगों की सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है। जिला कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रेमशंशु जैन ने बताया कि जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि आपको मगरमच्छ छोड़ने की जगह प्रदेश वंचित के किसानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किसान परेशान है उसको उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, उपज के उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसान को आए दिन आंदोलन करने पर

मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों को उचित मूल्य आवाज मिले इस और ध्यान देने की जरूरत है। किसानों को उपज के उचित मूल्य देने की जरूरत है, खाद के लिए किसान लंबी लंबी लाइन में लगा रहा है पर उसको खाद नहीं मिल रहा है उस और ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है की मगरमच्छ से ध्यान हटाकर किसानों को उसकी उपज का उचित दाम मिले और आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होना पड़े उस और ध्यान देने की जरूरत है। नर्मदान नदी में नदी में जो मगरमच्छ छोड़े जा रहे हैं उसका जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तमपाल सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी सहित समस्त कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज करवाती है।

पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर एमट्टी एक्ट के तहत कार्रवाई

37 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

नवभारत न्यूज खंडवा। जिले के विभिन्न थानों में 37 असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत 19 प्रकरणों में 29 अनावेदकों के विरुद्ध, धारा 129 बीएनएसएस के तहत 06 प्रकरण में 06 अनावेदक के विरुद्ध, धारा 170 बीएनएसएस के तहत 02 प्रकरण में 02 अनावेदक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जिले में कुल 13 अनावेदक के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज कुमार राय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर के मार्गदर्शन में 15 गिरफ्तारी, 36 जमानती वारंट, 66 समन जिले के विभिन्न थानों के द्वारा अलग-अलग न्यायालय के तामील किये गए। जिला खंडवा में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट, तीन सवारी, बिना हेलमेट, सीटबेल्ट

अवैध शराब बेचने वालों को पुलिस ने पकड़ा

अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध थाना जावर के आरोपिया रमा बाई पति शोभाराम बलाही उम्र 45 साल निवासी ग्राम पिपलयाफूल के कब्जे एक प्लास्टिक की केन में 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती 1000/-रुपए की जस की गई। थाना मूंदी के आरोपी राकेश पिता बाबूलाल चौहान जाति बंजारा उम्र 35 साल निवासी ग्राम शिवर के कब्जे से क प्लास्टिक की केन में करीबन 10 ली कच्ची महुआ शराब कीमती 900/-रुपए की जस की गई। उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।